अनवान :– किशनाराम बनाम जोगाराम वाद संख्या : 84 / 2011

उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार–2017 के यांयत पाचौड़ी में दिनांक : 07.06.2017 को (न्यायालय में पूर्व लम्बित प्रकरण) राज खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 री अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ उक्त प्रकरण का निर्णय न्यायालय हाजा द्वार 011 को कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा तहसीलदार खींवसर को मौका कर बंटवाड़ा स्कीम चाही गई।

तहसीलदार खींवसर ने बंटवाड़ा स्कीम प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त बंटवा ही पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है और उक्त बंटवाड़ा स्कीम दोनो पक्षो के रूब द हस्ताक्षर प्रस्तुत की गई।

अतः उक्त बंटवाड़ा स्कीम का प्राथमिक डिक्री जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11 री की गई थी दोनो का तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है की प्राथमिक डिक्री के ड़ा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत की गई। जिस पर दोनो पक्षकारान की सहमति प्रक ने भी उक्त बंटवाड़ा स्कीम पर कोइ आपति प्रकट नहीं की है।

अतः उक्त बंटवाड़ा स्कीम राजस्व लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार–20 ाम पचांयत पाचौड़ी में मजमेआम पढकर पक्षकारान को सुनाई गई उक्त बंटवाड़ा भी पक्षकारान ने आपति जाहीर नहीं कर सही होना स्वीकार किया । अतः उक्त स्वीकार की जाती है तथा वकील वादी के द्वारा स्टाम्पं डयुटी प्रस्तुत करने पर जि किया जावे।

पत्रावली में निर्णय मजमेआम दिनांक 27.07.2017 को केम्प कोर्ट ग्राम पचायंत अ गया।

(सहायक कलक्टर)
लोक अदालत
न्याय आपके द्वार
केम्प कोर्ट पाचौड़ी